सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 05, बुधवार, *शाके* 1944-जनवरी 25, 2023 *Magha 05, Wednesday , Saka 1944- January 25, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 11, 2023

जी.एस.आर.128 :-राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप.1/2012 दिनांक 01.06.2012 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान मद 6 और स्तम्भ (3), (4) और (5) में उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित नई मदें 7, 8, और 9 और स्तम्भ संख्यांक (3), (4) और (5) में उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात:-

"

7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण से संबंधित परिवादों के लिए,	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण	संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
8. सचिव, नगर सुधार न्यास, नगर सुधार न्यास से संबंधित परिवादों के लिए,	नगर सुधार न्यास के संबंध में सभापति	जिला कलक्टर
9. रेजीडेंट अभियंता, राजस्थान आवासन बोर्ड से संबधि त परिवादों के लिए,	उप-आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड	जिला कलक्टर

"

[एफ.13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप.1/2012]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. ओम प्रकाश बैरवा,

संयुक्त शासन सचिव।

Redressal of Public Grievance Department

Notification

Jaipur, January 11, 2023

G.S.R.128 .-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 (Act No. 22 of 2012), the State Government hereby makes the following amendment in Administrative Reforms and Coordination Department's notification number F.13(1)AR&C/Gr.1/2012 dated 01.06.2012, namely:-

Amendment

In table of the said notification, in column number 3 against serial number 4, after the existing item 6 and entries thereto in column (3), (4) and (5), the following new items 7, 8 and 9 and entries thereto in column (3), (4) and (5) shall be added, namely:-

"

7. Secretary, Jaipur Development Authority / Jodhpur Development Authority /Ajmer Development Authority for complaints relating to Development Authority concerned,	Commissioner, Jaipur Development Authority / Jodhpur Development Authority /Ajmer Development Authority	Divisional Commissioner, Jaipur/ Jodhpur/Ajmer
8 . Secretary, Urban Improvement Trust for complaints relating to Urban Improvement Trust concerned,	President, relating to Urban Improvement Trust	District Collector
9. Resident Engineer, Rajasthan Housing Board for complaints relating to Rajasthan Housing Board concerned,	Deputy Commissioner, Rajasthan Housing Board	District Collector

"

[F.13(1)AR&C/Gr.1/2012]
By order of the Governor,

Dr. Om Prakash Bairwa,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.